**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

**आईपी एंड एमसी अनुभाग**

**विषयः प्रकाशन विभाग के लिए व्यवसाय नीति दिशानिर्देशों के संशोधन के संबंध में।**

प्रकाशन विभाग कृपया ऊपर वर्णित विषय पर अपने अंतर विभागीय पत्र संख्या 4-9/2012-13-समन्वय-बीएम दिनांक 20.11.2018 का संदर्भ लें।

2. प्रस्ताव की मुख्य सलाहकार (लागत), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय के साथ परामर्श से मंत्रालय में जांच पड़ताल की गई है और प्रकाशन विभाग की वर्तमान व्यवसाय नीति संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन सूचित किया जाता है। इसके साथ संलग्न संशोधित व्यवसाय नीति दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे।

3. यह विषय मामले से संबंधित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आईडी सं. 2/2(33)/05-एफएस(वाल्यू-II) दिनांक 06.01.2016 और सं. एम-28015/13/15-एफएस दिनांक 22.02.2016 के अधिक्रमण में जारी किया गया है।

संलग्नः यथोपरि

(नीरज कुमार)

अवर सचिव (आईपीएंडएमसी)

टेलीः 23387930

प्रकाश विभाग(डा. साधना राउत, महानिदेशक), सूचना भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

---

सू. एवं. प्र. मं. आईडी नोट सं. एम-28016/03/2017-एफएस/आईपीएंडएमसी दिनांकः 01.01.2019

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

**प्रकाशन विभाग के लिए**

**व्यवसाय नीति दिशानिर्देश 2018**

**(01.01.2019 को संशोधित)**

**अनुच्छेद 1**

प्रकाशन विभाग (डीपीडी) राष्ट्रीय महत्व के विषयों तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को रेखांकित करने वाली पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का भंडार गृह है। संगठन का अधिदेश राष्ट्रीय धरोहर के मामलों के बारे में प्रकाशन कार्य करना और इन प्रकाशनों को किफायती मूल्यों पर लोगों के लिए उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना 1941 में की गई थी, यह भारत सरकार के ऐसे प्रमुख प्रकाशन गृह के रूप में उभर कर सामने आया है जो भारत भूमि और यहां के लोगों, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास, कला और संस्कृति, जीव-जंतु और वनस्पतियों, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनियों, संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्र की महान हस्तियों के बारे में श्रेष्ठतम पुस्तकें प्रकाशित करके भारत की धरोहर का संरक्षण और प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय ज्ञान भंडार को समृद्ध कर रहा है। प्रकाशन विभाग चार मासिक पत्रिकाएं योजना, कुरूक्षेत्र, बाल भारती और आजकल तथा एक साप्ताहिक रोज़गार समाचार का भी प्रकाशन कर रहा है। इन पत्र-पत्रिकाओं में आधुनिक मुद्दों जैसे कि आर्थिक और सामाजिक विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण, संस्कृति, बाल साहित्य और रोज़गार तथा कॅरिअर अवसरों पर सूचना शामिल की जाती हैं।

तेज़ी से बदल रहे प्रकाशन क्षेत्र के अनुरूप और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के तथा पाठकों के साथ-साथ डीपीडी के प्रकाशनों के एजेंटों/वितरकों के साथ बेहतर तालमेल करने के लिए, लोगों की अधिकतम संख्या तक पहुंच कायम करने के सामाजिक उद्देश्य के साथ एतद्द्वारा मौजूदा व्यवसाय नीति दिशानिर्देशों को संशोधित किया जाता है। व्यवसाय नीति दिशानिर्देशों में पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के मूल्य, बिक्री के लिए डिस्काउंट की संरचना, क्रेडिट बिक्री और पुस्तक वापसी से संबंधित प्रावधानों, प्रिंट और ई-बुक्स बिक्री संवर्द्धन के लिए डिजिटल विपणन, अन्य समान तरह के संगठनों के साथ साझेदारी बढ़ाने और प्रकाशन तथा अनुवाद अधिकारों की बिक्री के अलावा प्रकाशनों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री आरंभ करने से संबंधित अपनाए जाने वाले व्यापक पैरामीटर्स शामिल हैं। मूल्य तंत्र और डिस्काउंट संरचना का प्रस्ताव इस तरीके से किया गया है कि लचीले विपणन समझौतों के जरिए अधिक से अधिक जितना संभव हो सके किफायती मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन उपलब्ध कराने के समाजिक दायित्व को पूरा करने और लागत की बहाली के बीच उत्तम संतुलन बना रहे।

**अनुच्छेद 2**

**प्रकाशनों का मूल्य**

**(i) प्रकाशन विभाग की मासिक पत्र-पत्रिकाएं:**

पत्र-पत्रिकाओं के मूल्य में संशोधन (रूपये में)-

| क्रम सं. | पत्र-पत्रिका का नाम | 1 अंक के लिए सब्सक्रिप्शन मूल्य | 1 वर्ष के लिए सब्सक्रिप्शन मूल्य | 2 वर्ष के लिए सब्सक्रिप्शन मूल्य | 3 वर्ष के लिए सब्सक्रिप्शन मूल्य | विशेष अंक के लिए सब्सक्रिप्शन मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | योजना | 22 | 230 | 430 | 610 | 30 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | कुरुक्षेत्र | 22 | 230 | 430 | 610 | 30 |
| 3 | आजकल | 22 | 230 | 430 | 610 | 30 |
| 4 | बाल भारती | 15 | 160 | 300 | 420 | 20 |

क) विदेश में ग्राहकों के लिए, समय-समय पर भारतीय डाक द्वारा यथा निर्धारित एअर मेल प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

ख) यदि ग्राहक पंजीकृत डाक से प्रतियां प्राप्त करना चाहता है, उसे आर्डर की तिथि को लागू डाक दर के अनुरूप अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान करना होगा।

**(ii) एम्प्लायमेंट न्यूज़:**

| क्रम सं. | पत्रिका का नाम | प्रति कापी सब्सक्रिप्शन मूल्य | 1 वर्ष के लिए सब्सक्रिप्शन मूल्य | 2 वर्ष के लिए सब्सक्रिप्शन मूल्य | 3 वर्ष के लिए सब्सक्रिप्शन मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एम्प्लायमेंट न्यूज | 12 | 530 | 1000 | 1400 |

**(iii) पुस्तकें:**

क) रायल्टी पुस्तकें-उन पुस्तकों के मामले में, जिनमें प्रकाशन विभाग लेखक को रायल्टी का भुगतान कर रहा है, उत्पादन की लागत पर 250% का मार्क-अप लगाया जाएगा।

ख) ग़ैर-रायल्टी पुस्तकें- भारत वार्षिक पुस्तक, गेजेटियर्स आदि जैसे प्रकाशन, जिन पर कोई रायल्टी देय नहीं है, उत्पादन की लागत का 200% का मार्क-अप होगा।

ग) पिक्चरियल, आर्ट और काफी टेबल बुक्स-ऊपर वर्णित श्रेणियां कोई भी हैं, 300% का मार्क-अप होगा।

घ) धरोहर मूल्य की पुस्तकें-गांधी और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं पर पुस्तकें, और ऐतिहासिक महत्व के विषयों पर पुस्तकों का मूल्य उत्पादन लागत पर 150% के मार्क-अप पर होगा।

ड़) रीप्रिंटस-यदि प्रकाशन विभाग द्वारा पुस्तक की प्रिंटिंग के वर्ष के दो वर्षों के भीतर थोक आर्डर प्राप्त होता है, थोक आर्डर निष्पादित करने में समर्थता बनाए रखने के लिए कैटेलाग मूल्य बनाए रखना है।

**अनुच्छेद 3**

डिजिटल प्रकाशनों का मूल्य और ई-टेलर्स के साथ विपणन समझौते

(i) ई-बुक्स, ई-जर्नल्स और ई-एग्रीगेटर्स के लिए:

क) ग्राहकों के लिए ई-बुक्स प्रकाशन विभाग की वेबसाइट के साथ-साथ ई-कामर्स प्लेटफार्मों सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के जरिए उपलब्ध होंगी।

ख) ई-बुक/ई-जर्नल्स का मूल्य प्रिंट बुक्स के बराबर होगा, साथ में क्रेताओं को मूल्य पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। कुल मिलाकर यह प्रति पुस्तक 75 प्रतिशत होगा।

ग) प्रकाशन विभाग भारतीय कानूनों के अनुपालन के साथ ई-बुक्स/ई-जर्नल्स की बिक्री के जरिए वास्तविक राशि पर 70:30 के राजस्व हिस्सेदारी अनुपात के साथ (डीपीडीः प्लेटफार्म) अपनी ई-बुक्स/ई-जर्नल्स की बिक्री के लिए विपणन प्लेटफार्म का इस्तेमाल करेगा।

घ) 20 प्रतिशत तक के आफर के साथ अतिरिक्त विशेष छूट अधिकतम 10 दिनों की अवधि के लिए राष्ट्रीय अवकाशों अथवा महत्वपूर्ण दिवसों जैसे कि विश्व पुस्तक दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती आदि को प्रदान की जा सकती है।

ड़) प्रकाशन विभाग भारतीय कानूनों के साथ अनुपालना में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों दोनों में ई-कामर्स प्लेटफार्मों/ई-रिसार्स एग्रीगेटर के जरिए भी अपनी ई-बुक्स और ई-जर्नल्स की बिक्री करेगा।

च) ई-रिसार्स एग्रीगेटर की सेवाएं पुस्तकालयों/संस्थानों से संपर्क करने के लिए भी ली जाएंगी। ई-रिसार्स एग्रीगेट को उन समान शर्तों एवं निबंधन पर संबद्ध किया जाएगा जैसा कि ऊपर वर्णित ई-कामर्स प्लेटफार्मों के लिए है।

छ) छूट संरचना भी जैसा कि पी-बुक्स और जर्नल्स के लिए है (अनुच्छेद 4 के अनुरूप) ई-बुक्स/ई-जर्नल्स के लिए भी समान फार्मूले में लागू होनी है।

**(ii) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ई-कामर्स प्लेटफार्मों पर पी-बुक्स की बिक्री हेतुः**

क) ई-कामर्स प्लेटफार्मों पर पुस्तकों की बिक्री के लिए, प्रकाशन विभाग 55 प्रतिशत की सीमा के साथ उच्चतर छूट का प्रस्ताव करेगा। इसमें ई-टेलर्स द्वारा प्रस्तावित लाजिस्टिक लागत शामिल है।

ख) इस व्यवस्था में प्रकाशन विभाग के एजेंट/पुस्तक वितरक शामिल नहीं होंगे और पुस्तकों की बिक्री में शामिल लागत प्रति इकाई बिक्री पर प्रस्तावित छूट की 55 प्रतिशत की सीमा के अधीन कवर करनी होगी। यह छूट प्रावधान केवल ई-कामर्स प्लेटफार्म के जरिए बिक्री पूरा करने के लिए लागू होगी।

ग) यदि क्रेता आर्डर का सम्मान नहीं करता है/आर्डर को निरस्त कर देता है तो चयनित प्रकाशन की बिक्री और वापसी की अनुमति होगी।

घ) एजेंटों द्वारा स्टाकिंग, बिक्री, प्रोत्साहन, प्रेषण, ग्राहकों की शिकायतों की देखरेख और अन्य सभी लॉजिस्टिक लागत 55 प्रतिशत की छूट सीमा के भीतर पूरी की जाएगी।

ड़) एजेंटों को सकल खरीद के 50 प्रतिशत की धरोहर जमा राशि के तहत 120 दिनों की क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी।

च) उठाए गए कुल स्टाक के 20 प्रतिशत तक वापसी की सुविधा के लिए एजेंटों को ऑफर दी जाएगी जो ई-कामर्स प्लेटफार्मों के जरिए बिक्री हेतु प्रकाशन विभाग की पुस्तकें क्रय करते हैं।

छ) इन एजेंटों को ई-कामर्स प्लेटफार्मों पर प्रकाशन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी टाइटल्स अपलोड करना अपेक्षित होगा।

**अनुच्छेद 4**

**छूट संरचाना का संशोधन**

**(i) पुस्तकें:**

क) एजेंटों के लिएः

| क्रम सं. | मौद्रिक सीमा | स्वीकृत छूट | प्रेषण लागत' |
|---|---|---|---|
| 1. | 10,000/- रु तक | 25% | 100% एजेंट द्वारा प्रेषण |
| 2 | 10,001 रु -2,00,000/- | 35% | प्रेषण लागत की प्रकाशन विभाग और एजेंट द्वारा बराबर हिस्सेदारी करनी होगी |
| 3 | 2,00001 रु -5,00,000/- | 40% | |
| 4 | 5 लाख रु से अधिक | 45% | |

प्रेषण लागू एकल गंतव्य के लिए है। एक से अधिक गंतव्य के लिए, संपूर्ण लागत एजेंट/वितरक द्वारा वहन की जाएगी।

ख) एजेंट को 1000/- रु (केवल एक हजार रूपए) की अप्रतिदेय पंजीकरण फीस जमा करते हुए रजिस्टर करने की आवश्यकता होगी।

ग) एजेंटों से बाहर छूट का विस्तार करनाः समान छूट संरचना एजेंटों के लिए सुझाई गई परिभाषित मौद्रिक सीमा के साथ थोक में प्रकाशन विभाग के प्रकाशनों को क्रय करने के इच्छुक व्यक्तिशः पुस्तकालयों, सरकारी संस्थानों, ग़ैर सरकारी संगठनों आदि के लिए लागू हो सकती है। लेखक, यदि वे अपनी पुस्तकें क्रय करना चाहते हैं, एजेंटों की तरह समान छूट का लाभ ले सकते हैं यदि उनके द्वारा सीमित पुस्तकें क्रय की जाती हैं, उन्हें पुस्तक के मूल्य पर 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

घ) सरकारी एजेंसी/स्वायत्त संस्थाओं के लिए थोक आर्डरः अनुच्छेद 4(प) क) के अनुरूप छूट संरचना और प्रेषण लागत लागू होगी। हालांकि सरकारी विभागों को 1000/- रू पंजीकरण शुल्क का भुगतान

करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेषण की संपूर्ण लागत प्रकाशन विभाग द्वारा वहन की जाएगी बशर्ते कि यह एकल गंतव्य के लिए है। यदि एक से अधिक गंतव्य (घरेलू) के लिए आर्डर है तो प्रेषण लागत को प्रकाशन विभाग और संगठन के बीच बराबर रूप से बांटा जाएगा।

ड) प्रकाशन विभाग के कार्यालयों, मेलों, स्थानापन्न प्रदर्शनियों सहित प्रदर्शनियों से बिक्री पर छूट

क्रम सं. क्रय मूल्य

(रु में) छूट

1 01-1000 10%

2 1001-2000 15%

3 2001-3000 20%

4 3001-10000 25%

5 10001-200,000 35%

6 200,001-500,000 40%

7 500,001 और ऊपर 45%

**(ii) पत्र-पत्रिकाएं:**

क) एजेंटों के लिए छूट संरचना (मासिक पत्र-पत्रिकाएं):

प्रतियों की संख्या छूट

51-250 25%

251-1000 40%

1001 और ऊपर 45% 25%

ख) 25 प्रतिशत छूट का लाभ लेने वाली श्रेणी के लिए, एजेंटों के लिए प्रतियों की संख्या न्यूनतम 51 प्रतियों से आरंभ होनी चाहिए।

ग) समान छूट संरचना व्यक्तियों, संगठनों, पुस्तकालयों, सरकारी संस्थानों, ग़ैर सरकारी संगठनों आदि के लिए लागू होनी चाहिए जो कि थोक में हमारे प्रकाशन क्रय करने के इच्छुक हैं।

**(iii) एम्प्लायमेंट न्यूज़ (साप्ताहिक):**

क) एजेंटों के लिए छूट संरचनाः

| प्रतियों की संख्या | छूट |
|---|---|
| 501-1000 | 25% |
| 1001-2000 | 35% |
| 2001 और ऊपर | 40% |

ख) इन वितरकों/एजेंटों को सकल क्रय के 50 प्रतिशत की धरोहर जमा राशि के तहत 120 दिनों की क्रेडिट सुविधा की भी अनुमति दी जा सकती है।

ग) समान छूट संरचना व्यक्तियों, संगठनों, पुस्तकालयों, सरकारी संस्थानों, ग़ैर सरकारी संगठनों आदि के लिए लागू होनी चाहिए जो कि थोक में हमारे प्रकाशन क्रय करने के इच्छुक हैं।

**अनुच्छेद 5**

(क) पुराने/क्षतिग्रस्त प्रकाशनों के लिए अतिरिक्त छूटः ऐसे प्रकाशनों के लिए निम्नानुसार अतिरिक्त छूट होगीः

(प) पांच वर्षों से अधिक पुराने प्रकाशन-50 प्रतिशत छूट

(पप) दस वर्षों से अधिक पुराने प्रकाशन-60 प्रतिशत छूट

(पपप) पन्द्रह वर्षों से अधिक पुराने प्रकाशन-90 प्रतिशत छूट

(पअ) पन्द्रह (15) वर्षों से अधिक पुराने प्रकाशन, राष्ट्रीय पुस्तकालयों, राष्ट्रीय संग्रहालय, साहित्य अकादमी पुस्तकालय और सभी केंद्रीय/राज्य डीम्ड विश्वविद्यालय पुस्तकालयों, अनुसंधान संस्थानों, केंद्रीय/राज्य शिक्षा बोर्डों और केंद्र/राज्य सरकारों से पूर्णतः अथवा अंशतः वित्तपोषित अन्य संस्थानों को दान के रूप में दिए जा सकते हैं। ये प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन मीडिया संगठनों (जैसे कि ब्यूरो आॅफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन), केंद्रीय और राज्य सरकार के संगठनों/सरकारी विभागों/केंद्र/राज्य सरकार द्वारा वित्तपोाषित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों को भी दान किए जा सकते हैं। (ऐसे प्रकाशनों की अंतिम दस प्रतियां रिकार्ड प्रतियों के तौर पर स्टोर में रख ली जाएंगी)

(अ) वार्षिक इंडिया/भारत के संबंध में, जिसका आत्म जीवन केवल एक वर्ष है, कैलेंडर वर्ष के अंतिम दो महीनों और इसके बाद सामान्य छूट स्लैब्स से ऊपर 35 प्रतिशत तक की विशेष छूट

(vi) जर्नल्स के संबंध में, बिक्री नहीं हुई प्रतियों को प्रकाशन के एक वर्ष बाद पुस्तक मेले/पदर्शनियों अथवा प्रकाशन विभाग के किसी विशेष कार्यक्रम में बिक्री प्रोत्साहन के भाग के तौर पर निःशुल्क वितरित किया जा सकता है।

**(ख) क्षतिग्रस्त प्रकाशन के लिए राइटिंग ऑफ हानिः** जीएफआर के प्रावधानों के अनुरूप।

**अनुच्छेद 6**

एजेंटों के लिए क्रेडट और एक्सचेंज सुविधा-

क) एजेंटों को सकल ख़रीद के 50 प्रतिशत की धरोहर जमा राशि के तहत 120 दिनों की क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी। उचित सावधि जमा के तहत क्रेडिट में वृद्धि की जा सकती है।

ख) केंद्रीय और राज्य सरकारों के संगठनों/सरकारी विभागों/केंद्रीय/राज्य सरकारों से वित्तपोषित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त संस्थाओं और केंद्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में क्रेडिट सुविधा की साठ दिनों तक के लिए (बगैर ईएमडी) अनुमति दी जा सकती है। यद्यपि 60 दिनों के भीतर भुगतान के लिए एक लिखित वचनपत्र, अवर सचिव अथवा ऊपर के स्तर के अधिकारी से हस्ताक्षरित, अपेक्षित होगा।

ग) न्यूनतम 45 प्रतिशत डिस्काउंट ले रहे एजेंटों को वर्ष में पुस्तक विक्रेता/वितरक द्वारा उठाए गए स्टाक के 20 प्रतिशत तक पुस्तकों की वापसी की इस शर्त के विषयाधीन अनुमति दी जाएगी कि वापस की गई पुस्तकें बिक्री योग्य स्थिति में हैं। ऐसी वापसी की अवधि वर्ष में केवल एक बार होगी। ऐसी वापस की गई पुस्तकों के मूल्य के लिए क्रेडिट भविष्य की खरीद के तहत समायोजित किया जाएगा।

घ) वापसी की सुविधा वार्षिक संदर्भ पुस्तक इंडिया/भारत के लिए लागू नहीं होगी जिसकी सीमित शेल्फ वैल्यू होती है।

**अनुच्छेद 7**

प्रकाशन विभाग की पुस्तकों की विपणन हेतु व्यवस्था

क) प्रकाशन विभाग अपने प्रकाशनों के विपणन के लिए राष्ट्रीय स्तर के सभी पुस्तक प्रकाशन संगठनों जैसे कि नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी अथवा राज्य स्तरीय अकादमियों, और संगठनों जैसे कि आईजीएनसीए, प्रसार भारती, एनएफएआई, फिल्म प्रभाग, एफटीआईआई आदि के साथ संभावनाओं का पता लगाएगा।

ख) प्रकाशन विभाग उचित विषयवस्तु सृजित करने वाले ऐसे संस्थानों के साथ प्रकाशन विभाग के अधिदेश अनुसार साझेदारी व्यवस्था का पता लगाएगा, जो कि प्रभाग के प्रकाशनों को प्रदर्शित और बिक्री करने के इच्छुक हैं।

**अनुच्छेद 8**

**मुफ्त का प्रावधान**

क) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रचार, समर्थन, आउटरीच, संवीक्षा और रिकार्ड उद्देश्य के लिए प्रकाशन विभाग अपने प्रकाशनों (पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं) को एजेंटों को बिक्री संवर्द्धन कोटा, लेखक कोटा, पुस्तकालयों (अनिवार्य) और विशिष्ट व्यक्तियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न श्रेणियों के अधीन निःशुल्क आधार पर उपलब्ध करा सकता हैः

**क्रम सं.मुद्रित प्रतियों की संख्या निःशुल्क कोटा**

1 1000 10 प्रतिशत तक (इनमें से न्यूनतम 4 प्रतिशत बिक्री संवर्द्धन हेतु चिन्हित)

2 1000 से अधिक5 प्रतिशत तक (इनमें से न्यूनतम 4 प्रतिशत बिक्री संवर्द्धन हेतु चिन्हित)

ख) ऊपर वर्णित सीमाओं से ऊपर अतिरिक्त कोटा के लिए, मामला सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लाया जाएगा।

ग) निःशुल्क प्रतियां थोक आर्डर प्राप्त करने के लिए नमूना प्रतियों के तौर पर भी केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठनों को दी जा सकती हैं।

घ) इंडिया/भारत संदर्भ मैनुअल के मामले में, मानार्थ आधार पर दी जाने वाली प्रतियों की संख्या प्रिंट आर्डर का कम से कम 1 प्रतिशत और 2 प्रतिशत तक होंगी।

**अनुच्छेद 9**

अंतर्राष्ट्रीय विपणन, मूल्य और प्रकाशन अधिकारः वैश्विक पहुंच

**(i) अंतर्राष्ट्रीय मूल्यः**

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में पुस्तकों का मूल्य नीचे दिए गए आईएनआर दर फार्मूला के गुणांक में होगाः

प रू 0-रु 100/- के एमआरपी की पुस्तकें यूएस $ 3

पप रू 101-रु 200/- के एमआरपी की पुस्तकें यूएस $ 5

iii रु 201-रू 400/- के एमआरपी की पुस्तकें यूएस $ 9

iv रु 401-रू 1500/- के एमआरपी की पुस्तकें 3.5 गुणा

अ रु 1500/- से अधिक एमआरपी की पुस्तकें 3 गुणा

- नौवहन प्रभार प्रेषण लागत के संबंध में अनुच्छेद 4(प) में विनिर्दिष्ट फार्मूला के अनुसार अतिरिक्त (विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए लागू अंतर्राष्ट्रीय प्रभारों के आधार पर प्रत्येक छह माह में निर्धारित किए जाने हैं)

(पप) अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और प्रकाशन अधिकारः

उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन के आधार पर, प्रकाशन विभाग विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय बिक्री/प्रकाशन/अनुवाद अधिकारों के लिए समझौता कर सकता है जहां ई-कामर्स प्लेटफार्मों के लिए यथा निर्धारित समान राजस्व हिस्सेदारी माडल का पालन किया जा सकता है। अन्य शब्दों में, प्रकाशनों के लिए अर्जित सभी राजस्व को, जिसे एक क्षेत्र विशेष के लिए प्रकाशन अधिकारों की अनुमति प्रदान की गई है 70:30 के अनुपात में बांटा जाएगा (निवल राजस्व के अनुरूप).

क) अनुवाद लागत/बिक्री और विपणन लागत अथवा कोई अन्य संबद्ध लागत प्रकाशकों/अधिकार प्राप्तकर्ता द्वारा अनुमतेय डिस्काउंट और निवल बिक्री मूल्य पर 30 प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी से वहन की जाएगी।

ख) प्रकाशन विभाग ऊपर अनुच्छेद 3 में यथा उल्लिखित समान व्यवस्था के अनुरूप ई-कामर्स प्लेटफार्मों पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंटों के जरिए भी अपनी पी-बुक्स, ई-बुक्स और ई-जर्नल्स की बिक्री करेगा।

ग) प्रकाशन विभाग मौजूदा शर्तों एवं निबंधन तथा उक्त अनुच्छेद 4 में वर्णित छूट संरचना के अनुरूप अपने प्रकाशनों की बिक्री करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंटों की नियुक्ति करेगा।

घ) अंतर्राष्ट्रीय एजेंटों की नियुक्ति और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए विदेश स्थित मिशनों से सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

**अनुच्छेद 10**

**बिक्री और विपणन के सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष प्रावधानः**

**(i) पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के लिए पांच क्षेत्रीय विपणन और वितरण एजेंसियों (जेडएमडीए) की नियुक्तिः**

अपने जर्नल्स के सर्कुलेशन में सुधार हेतु, प्रकाशन विभाग पाठकों की अपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके प्रकाशन जब जगह आसानी से उपलब्ध हो सकें, अपनी पुस्तकों/पत्र-पत्रिकाओं की बिक्री और विपणन के संचालन हेतु पांच क्षेत्रीय विपणन और वितरण एजेंसियों (जेडएमडीए) की नियुक्ति करेगा। जर्नल्स के विपणन और वितरण के लिए पांच जोन हैं- दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और गुवाहाटी. जोनल आधार पर नियुक्त की जाने वाली एजेंसियां पुस्तकों/जर्नल्स के सर्कुलेशन में सुधार के लिए बिक्री और विपणन के ज़ोरदार प्रयास करेंगी तथा देश भर में प्रकाशन विभाग के प्रकाशनों को व्यापक रूप से प्रदर्शित करने में सहायता करेंगी। जोनल

विपणन और वितरण एजेंसियों की पहचान खुले विज्ञापन के आधार पर की जाएगी (विस्तृत शर्तों एवं निबंधन को प्रकाशन विभाग द्वारा मंत्रालय के परामर्श से अलग से अंतिम रूप दिया जाएगा)

**(ii) पुस्तकों के संवर्द्धन, विपणन और बिक्री हेतु राज्य स्तरीय पैनलबद्ध पुस्तक वितरण एजेंसियों (एसएलईबीडी) की नियुक्ति.**

वर्तमान में, प्रकाशन विभाग के बिक्री और विपणन प्रयास इसके पुस्तक एजेंटों के नेटवर्क के साथ-साथ सीमित बिक्री एम्पोरियम के जरिए संचालित किए जाते हैं। अपनी पहुंच को व्यापक बनाने के लिए, प्रकाशन विभाग सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय पैनलबद्ध पुस्तक वितरण एजेंसियां (एसएलईबीडी) नियुक्त करते हुए अपने बिक्री और विपणन प्रयासों को सुदृढ़ करने की परिकल्पना रखता है। तदनुसार प्रकाशन विभाग एसएलईबीडीज प्रकाशन विभाग की एक विस्तारित भुजा के तौर पर कार्य करने की परिकल्पना करता है जो कि प्रकाशन विभाग की पुस्तकों के लिए व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ज़ोरदार बिक्री और विपणन प्रयास संचालित करेगा। एसएलईबीडीज अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रकाशन विभाग की ओर से पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता और संयोजन भी करेंगे। एसएलईबीडी की पहचान खुले विज्ञापन के आधार पर की जाएगी. (विस्तृत शर्तों एवं निबंधन को प्रकाशन विभाग द्वारा मंत्रालय के परामर्श से अलग से अंतिम रूप दिया जाएगा)

**अनुच्छेद 11**

**व्यवसाय नीति दिशानिर्देशों की समीक्षाः**

प्रकाशन विभाग ऊपर दिए गए दिशानिर्देशों के आधार पर जब कभी भी आवश्यक होता है पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के मूल्यों की समीक्षा संचालित करेगा।

---